



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 251 राँची, गुरुवार,

4 मई, 2023 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2023

संख्या--प्र. 05 खा.आ.माप तौल-07/2016 - 1147-- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा अधिसूचना संख्या-258, दिनांक 25.01.2022 के द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2021” में संशोधन हेतु निम्नवत् संशोधन नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) यह नियमावली झारखण्ड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 की निम्न नियमों के प्रावधान को विलोपित कर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र.	पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(i)	नियम-9-2 (i) निरीक्षक] विधिक माप विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी)/कृषि विज्ञान/ अभियंत्रण (असैनिक/ यांत्रिकी/ विद्युतिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य कि आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तकनीकी/विशिष्ट विषय के रूप में विज्ञान (भौतिकी)/कृषि विज्ञान/ अभियंत्रण (असैनिक/ यांत्रिकी/ विद्युतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक विषय की परीक्षा आयोजित की जायेगी।	नियम- 9.2 (i) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी)/अभियंत्रण (असैनिक/ यांत्रिकी/ विद्युतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तकनीकी/विशिष्ट विषय के रूप में विज्ञान (भौतिकी)/अभियंत्रण (असैनिक/ यांत्रिकी/ विद्युतिकी /इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक विषय की परीक्षा आयोजित की जायेगी।
(ii)	नियम-10.1 आयोग द्वारा उक्त पद के लिए अभ्यर्थियों की चयन की अनुशंसा	नियम-10.1 आयोग द्वारा उक्त पद के लिए अभ्यर्थियों की चयन की अनुशंसा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 6474, दिनांक 24.05.2017 के द्वारा अधिसूचित नियमावली झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 3850 दिनांक 10.08.2021 सह झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट संख्या 417 दिनांक 12.08.2021 सह झारखण्ड राज्य के कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के अनुसार की जायेगी ।	विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 6474, दिनांक 24.05.2017 के द्वारा अधिसूचित नियमावली झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार की जायेगी ।												
(iii)	नियम-11.2 विभागीय परीक्षा केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद) द्वारा लेखा पुस्तक सहित एवं लेखा पुस्तक रहित की परीक्षा ली जाएगी। जनजातीय भाषा की परीक्षा का भी आयोजन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा ।	नियम-11.2 i. राजस्व पर्षद द्वारा लेखा पुस्तक सहित एवं लेखा पुस्तक रहित विषय की परीक्षा आयोजित की जायेगी।उक्त विषयों का पाठ्यक्रम निम्नरूपेण होगा:- <table><tr><th>क्र म</th><th>विषय एवं पाठ्यक्रम</th><th>पत्र</th><th>समय</th><th>पूर्णांक</th><th>उत्तीर्णांक</th></tr><tr><td>a</td><td>लेखा पुस्तक रहित का विषय - The legal Metrology Act, 2009 and rules thereunder, the Acts, Rules and Regulations and Instructions concerning Weights and Measures in force in Jharkhand, the duties of Legal Metrology Officer of Weights and Measures, the mode of testing Weights and</td><td>प्रथम</td><td>3 घंटा</td><td>100</td><td>60</td></tr></table>	क्र म	विषय एवं पाठ्यक्रम	पत्र	समय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	a	लेखा पुस्तक रहित का विषय - The legal Metrology Act, 2009 and rules thereunder, the Acts, Rules and Regulations and Instructions concerning Weights and Measures in force in Jharkhand, the duties of Legal Metrology Officer of Weights and Measures, the mode of testing Weights and	प्रथम	3 घंटा	100	60
क्र म	विषय एवं पाठ्यक्रम	पत्र	समय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक									
a	लेखा पुस्तक रहित का विषय - The legal Metrology Act, 2009 and rules thereunder, the Acts, Rules and Regulations and Instructions concerning Weights and Measures in force in Jharkhand, the duties of Legal Metrology Officer of Weights and Measures, the mode of testing Weights and	प्रथम	3 घंटा	100	60									

			Measures, Weighting and Measuresing Instruments and knowledge to adjust and stamp these and knowledge of standards used in trades and laboratories.				
		b	लेखा पुस्तक सहित का विषय i. Jharkhand Service Code ii. Jharkhand G.P.F Rule iii. Jharkhand Travelling Allowance Rule iv. Jharkhand Treasury Code v. Jharkhand Pension Rule	द्वितीय	3 घंटा	100	60
		ii. जनजातीय भाषा परीक्षा तथा कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक) का आयोजन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा ।					
(iv)	नियम-11.3 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतन वृद्धि तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित जनजातीय भाषा परीक्षा, लेखापुस्तक सहित परीक्षा एवं लेखापुस्तक रहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा ।	नियम-11.3 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतन वृद्धि तथा “राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित लेखा पुस्तक सहित परीक्षा एवं लेखा पुस्तक रहित परीक्षा, जनजातीय भाषा परीक्षा तथा कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक) में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी, लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा ।					

3. झारखण्ड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

4. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-1054, दिनांक 23.03.2023 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.03.2023 की बैठक के मद संख्या-34 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।
